निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 चैत्र 1943 (श0)

(सं0 पटना 226) पटना, बुधवार, 31 मार्च 2021

विधि विभाग

अधिसूचना
31 मार्च 2021

सं० एल०जी०–01–08/2021–2129/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 27 मार्च 2021 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी०सी० चौधरी,
सरकार के सचिव।

[fcgkj vf/kfu;e 04] 2021]

fcgkj jkT;dks"kh; mÙkjnkf;Ro ,oa ctV izca/ku ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e] 2021

fcgkj jkT;dks"kh; mÙkjnkf;Ro ,oa ctV izca/ku vf/kfu;e 2006 ¼fcgkj vf/kfu;e 5] 2006½ dk la'kks/ku djus dk fy, vf/kfu;e

iLrkoukA& राजकोषीय समेकन के लिए भारत सरकार द्वारा यथा अनुशंसित, वित्तीय वर्ष 2020–21 के राजकोषीय लक्ष्यों में संशोधन का उपबंध करने हेतु बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 का संशोधन हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1- Lkaf{kIr uke] foLrkj ,oa izkjEHkA&

(1) यह अधिनियम बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2- fcgkj vf/kfu;e&5] 2006 dh /kkjk&9 dk la'kks/ku]A & बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम, 5, 2006) की धारा–9 की उप धारा– 2(ख)(3) के बाद नई उप धारा–2(ख)(4) निम्नलिखित रूप से जोड़ी जायेगी :–

"2(ख)(4) वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए यथा–उपबंधित धारा–9 के उप धारा 2(ख)(1) में निर्धारित अधिसीमा के अतिरिक्त राज्य का राजकोषीय घाटा लक्ष्य एवं वार्षिक उधार सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2% (दो प्रतिशत) बढ़ाया जायेगा। उधार सीमा में यह वृद्धि भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्त्त के अधीन होगा।"

पी०सी० चौधरी,
ljdkj ds lfpoA

---

31 मार्च 2021

सं० एल०जी०–01–08/2021**&2130@yst**—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 मार्च 2021 को अनुमत **fcgkj jkT;dks"kh; mÙkjnkf;Ro ,oa ctV izca/ku ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e] 2021 ¼fcgkj vf/kfu;e 04] 2021½** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

fcgkj&jkT;iky ds vkns'k ls]
पी०सी० चौधरी,,
ljdkj ds lfpoA

[Bihar Act 04, 2021]

THE BIHAR FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) ACT, 2021

AN

ACT

Preamble- To amend the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006, as it is necessary and expedient to revise fiscal targets for the year 2020-21, as recommended by Government of India for fiscal consolidation.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the seventy second year of the Republic of India as follows :-

1. *Short title, extent and commencement .—*

(1) This Act may be called The Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint;

2. ***Amendment in section 9 of The Bihar Act 5, 2006 -*** The following new sub-section 2(b)(4) shall be added after sub-section 2(b)(3) of section 9 of the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006 (Bihar Act 5, 2006) :-

"2(b)(4) The fiscal deficit target and annual borrowing limit for the year 2020-21 shall be increased by two percent (2%) over and above the limits prescribed in sub-section 2(b)(1) of section 9. This increase in annual borrowing limits shall be subject to the condition, set forth by the Government of India."

P.C. Choudhary,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 226-571+400-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in